



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड (चिनहट)
मध्याह्न विद्युत वितरण नियम लि०
39/11 के.वी. उपकेन्द्र, सेक्टर-4, गोमती नगर विस्तार
लखनऊ-लखनऊ

पत्रांक : /वि०न०वि०ख०(चिनहट)/ दिनांक

विषय : भूमि खसरा संख्या 114 स. ग्राम-टेराखारा, सतरिख रोड लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित अपोर्टेबुल समूह आवास निर्माण सम्बन्धी मानचित्र की अनापत्ति/आपत्ति के सम्बन्ध में।

अधिशाषी अभियन्ता, मानचित्र सेल,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन, मिपिन खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 52/AAMC/17 दिनांक 25.04.2017 के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि मेसर्स आर्शा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा भूमि खसरा संख्या 114 स. ग्राम-टेराखारा, सतरिख रोड लखनऊ पर प्रस्तुत प्रस्तावित अपोर्टेबुल समूह आवास निर्माण सम्बन्धी मानचित्रों के सन्दर्भ में अनापत्ति इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि (विद्युत आपूर्ति संहिता 2005) अथवा तत्कालीन लामू संहिता के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित विभव पर तत्कालीन तकनीकी संभाव्यता के आधार पर सुचित उपकेन्द्र से कनेक्शन उपभोक्ता के व्यय पर निर्गत किया जायेगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक : 4731 /वि०न०वि०ख०(चिनहट)/ दिनांक 19.11.17

प्रतिनिधि:- मेसर्स आर्शा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा० लि० द्वारा भूमि खसरा संख्या 114 स. ग्राम-टेराखारा, सतरिख रोड लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाषी अभियन्ता